द्वारा ई–मेल / फैक्स / महत्वपूर्ण

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याः /अठ्ठारह–एएसआई(लेखा)–271–2018 दिनांकःजून 21 ,2018

आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली, 2015 एवं यथा संशोधित सेवा नियमावली–2016 में निहित निर्देशों के अन्तर्गत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर प्राधिकृत बोर्ड द्वारा कुल–22 पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा) को पुलिस उप निरीक्षक (लेखा) के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने एवं पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप इन्हें तात्कालिक प्रभाव से उनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही पुलिस उप निरीक्षक(लेखा) के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है, जिनका विवरण निम्नवत् अंकित हैः–

क्र0 सं0	पी0एन0ओ0 नम्बर	नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	नियुक्ति स्थान	परिक्षेत्र / इकाई	चयन का वर्ष
1	2	3	4	7	6	7	8
1	762762260	सुरेन्द्र नाथ पाण्डेय	पारस नाथ पाण्डेय	01-07-1958	04वीं वाहिनी पीएसी इलाहाबाद	कानपुर अनुभाग	2016
2	820470348	राजीव भटनागर	मदन मोहन लाल भटनागर	27-10-1959	जीआरपी अनुभाग मुरादाबाद	मुरादाबाद	2016
3	822450423	नोखे लाल	प्यारे लाल	15-06-1959	गजियाबाद	मेरठ परिक्षेत्र	2016
4	852060027	सीताराम शुक्ल	जोखू प्रसाद शुक्ल	01-03-1960	संतकबीर नगर	बस्ती परिक्षेत्र	2016
5	862360016	विनोद कुमार त्रिपाठी	राम सेवक त्रिपाठी	15-02-1960	जालौन	झांसी परिक्षेत्र	2016
6	872200081	राधेश्याम यादव	अर्जुन प्रसाद	01-07-1962	कानपुर नगर	कानपुर परिक्षेत्र	2016
7	870450282	असनी कुमार	हरी शंकर	0912-1963	वाराणसी	वाराणसी परिक्षेत्र	2016
8	870530599	राम विजय यादव	सुमेर यादव	04-01-1963	20वीं वाहिनी पीएसी आजमगढ़	वाराणसी अनुभाग	2016
9	870620344	लाल बचन सिंह	मुनेश्वर सिंह	15-07-1965	जीआरपी एस0पी0 रेलवें लखनऊ	पुलिस उप महानिरीक्षक रेलवें लखनऊ	2016
10	882080275	सुशील कुमार श्रीवास्तव	बंकटेश्वर प्रसाद	05-08-1964	बहराईच	दवीपाटन परिक्षेत्र गोण्डा	2016
11	892340039	श्रीचन्द्र	राम भरोसी	05-01-1960	आगरा	आगरा परिक्षेत्र	2016
12	880900883	राजीव कुमार शर्मा	केशव राम शर्मा	01-05-1963	जीआरपी एस0पी0 रेलवें लखनऊ	पुलिस उप महानिरीक्षक रेलवें लखनऊ	2016
13	902550463	सुशील कुमार तोमर	स्व0 महेन्द्र पाल सिंह तोमर	18-06-1971	49 वीं वाहिनी पीएसी	मेरठ अनुभाग	2016
14	922230077	श्रीमती मंजू शर्मा	मदन मोहन शर्मा (पति) स्व0	25-09-1966	45वीं वाहिनी पीएसी अलीगढ़	आगरा अनुभाग	2016
15	940500787	शेर बहादुर वर्मा	स्व0 महादेव वर्मा	16-12-1968	हमीरपुर	चित्रकूट धाम बांदा	2016
16	952300207	श्याम लाल यादव	स्व0 रामधारी यादव	25-12-1970	आजमगढ़	आजमगढ़	2016
17	960720013	सईद अहमद	स्व0 मोहम्मद सफी खॉं	07-07-1965	उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद	उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद	2016
18	962400027	शिव कुमार सिंह तोमर	अजयवीर सिंह तोमर	18-08-1975	23वीं वाहिनी पीएसी मुरादाबाद	मुरादाबाद अनुभाग	2016
19	971310014	सुनील कुमार श्रीवास्तव	कौशल किशोर श्रीवास्तव	25-02-1969	पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय लखनऊ	पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय लखनऊ	2016
20	970620013	अनिल कुमार श्रीवास्तव	राजेन्द्र प्रताप श्रीवास्तव	01-07-1963	सीतापुर	लखनऊ परिक्षेत्र	2016
21	972031978	सुनील कुमार पाण्डेय	राम दुलार पाण्डेय	24-02-1961	इलाहाबाद	इलाहाबाद परिक्षेत्र	2016
22	872010291	देव नारायण मिश्र	राम सहाय मिश्र	25-07-1963	कानपुर नगर	कानपुर परिक्षेत्र	2015

2. पदोन्नति पाये समस्त पुलिस उप निरीक्षक (लेखा) गण अपने नियुक्ति स्थान जनपद/इकाई/शाखा पर कार्यभार ग्रहण करेगें। उक्त कर्मियों के परिवीक्षा काल हेतु उ0प्र0 पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली–2015 यथा संशोधित सेवा नियमावली–2016 में अंकित प्रावधान के अनुसार कार्यवाही अपेक्षित होगी।

3. पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा) से **<u>संलग्न प्रारूप (क)</u>** में स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या: 13/21/89–का–1–1997 दिनांक: 28–05–1997 के खण्ड–2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियॉ:–

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है,
(ख) यदि कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप–पत्र जारी किया जा चुका है।
(ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप–पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।
उपरोक्त तीनो परिस्थितियॉ सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरूद्ध विद्यमान न हों।

4. यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर–3 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान नहीं है तो सम्बन्धित पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा) को पुलिस उप निरीक्षक (लेखा) के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर–3 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान पायी जाती है तो सम्बन्धित पुलिस सहायक उप निरीक्षक(लेखा) के पदोन्नति के आदेश का कियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुये दिशा–निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

5. यदि सम्बन्धित पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा) के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई में सम्बन्धित पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा) द्वारा स्वघोषणा–पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित सम्बन्धित कर्मी को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

6. आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट **<u>http://uppolice.gov.in</u>** पर प्रदर्शित की जा रही है।

<u>संलग्नक– प्रारूप (क)</u>

(अशोक कुमार)
पुलिस अधीक्षक, कार्मिक,
उत्तर प्रदेश।

<u>प्रतिलिपि</u>:निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. समस्त पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
2. अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
3. पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी जोन्स, उ0प्र0।
6. पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र, मेरठ, बस्ती, झांसी, कानपुर, वाराणसी, देवीपाटन, आगरा, चित्रकूट, आजमगढ, लखनऊ, इलाहाबाद, एवं उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद।
7. पुलिस उप महानिरीक्षक, पीएसी सेक्टर, कानपुर, वाराणसी, मेरठ, आगरा एवं मुरादाबाद उ0प्र0।
8. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद गाजियाबाद, संतकबीरनगर, जालौन, कानपुर नगर, वाराणसी, बहराइच, आगरा, हमीरपुर आजमगढ, सीतापुर एवं इलाहाबाद उत्तर प्रदेश ।
9. पुलिस अधीक्षक, रेलवे मुरादाबाद, लखनऊ।

... निदेशालय, लखनऊ।

11. सेनानायक, 04वीं वाहिनी पीएसी, इलाहाबाद/20वीं वाहिनी पीएसी आजमगढ़/49वीं वाहिनी पीएसी गौतमबुद्घनगर/45वीं वाहिनी पीएसी अलीगढ़।

<u>संख्या तथा दिनॉक वही।</u>

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषित:–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक, उ0प्र0 लखनऊ।
2– पुलिस महानिरीक्षक,स्थापना उ0प्र0 लखनऊ।

प्रतिलिपि:–

<u>संख्या तथा दिनॉक वही।</u>

1. [illegible]

10. पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, लखनऊ।
11. सेनानायक, 04वीं वाहिनी पीएसी, इलाहाबाद / 20वीं वाहिनी पीएसी आजमगढ़ / 49वीं वाहिनी पीएसी गौतमबुद्धनगर / 45वीं वाहिनी पीएसी अलीगढ़।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषितः–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक, उ0प्र0 लखनऊ।
2– पुलिस महानिरीक्षक,स्थापना उ0प्र0 लखनऊ।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः–

1. अनुभाग अधिकारी–20, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को शासकीय गजट के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के हेतु।

(अशोक कुमार)
पुलिस अधीक्षक, कार्मिक,
उत्तर प्रदेश।

प्रारूप—"क"

स्वघोषणा—पत्र

मैं,————————————————(नाम/पदनाम व पीएनओ) पुत्र ————————निवासी————————————थाना————————जनपद———————— वर्तमान में (जनपद/इकाई का नाम)———————————— नियुक्त हूँ तथा घोषित करता हूँ कि:—

(क) "मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों /कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली—1991 के नियम—14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही वर्तमान में निलम्बित हूँ।"

2— उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुये मेरे विरूद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

3— यह घोषणा—पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दवाब के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)

नियुक्ति स्थान/दिनाँक

यदि सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली—1991 के नियम—14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है अथवा निलम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण उसके द्वारा नीचे अंकित किया जायेगा:—

(1) वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश/दिनाँक तथा कारण ————

(2) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली—1991 के नियम—14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई————————में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनाँक:———————— को आरोप—पत्र दिया गया है।

(3) मेरे विरूद्ध मु0अ0सं0———————— धारा————————थाना ———————— जनपद————————में लम्बित है, जिसमें दिनाँक————————को स्थानीय पुलिस अथवा जाँच एजेन्सी————————————द्वारा आरोप—पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में————————स्तर पर चल रहा है।

हस्ताक्षर

(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)

नियुक्ति स्थान/दिनाँक

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी

नाम/पदनाम की मुहर

नोट:—स्वघोषणा—पत्र में अंकित जो प्रस्तर अथवा उपप्रस्तर लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (X) दिया जाय।